नम्बर व ता...
अहकाम जो
तामील में आ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 1064 / 2021 निर्णय दिनांक :–06.07.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

बाबूलाल गूर्जर पुत्र कजोड मल गूर्जर जाति गूर्जर उम्र बालिग निवासी रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीया

पेरोकार सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल.आर. एक्ट बाबत्</u>
<u>नाम का दुरूस्तीकरण</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की माता बदाम पुत्री काल्या व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 271 ख0नं0 193 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 89 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 90 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 है0 एवं खाता संख्या 362 ख0नं0 177 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 179 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 180 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 183 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 184 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 186 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 187 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 188 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 189 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 190 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 191 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 77 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 78 रकबा 0.65 है0, ख0नं0 79 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 80 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 81 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 82 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 83 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 84 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 87 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 88 रकबा 0.23

है0, ख0नं0 91 रकबा 0.23 कुल किता 22 कुल रकबा 5.79 है0 वाके ग्राम खरोई पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज. में स्थित है। जिसके साबिक का ख0नं0 31,32,94,95,607/3 है। जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत् 2024–2027 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि साबिक ख0नं0 31, 32, 94, 95, 607/3 जमाबंदी सम्वत् 2024–2027 में प्रार्थी की माता के पिता काल्या व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है। अर्थात उक्त भूमि प्रार्थी के नाना काल्या पिता सुखदेवा के नाम दर्ज थी। प्रार्थी के माता के पिता काल्या (प्रार्थी का नाना) की मृत्यु होने पर जिसका फोती नामान्तकरण संख्या 159 द्वारा प्रार्थी के नाना से प्रार्थी की माता बदाम पुत्री काल्या के नाम खोला गया और उसका जमाबंदी में अमल किया गया। उसमें प्रार्थी की माता के पिता का नाम काल्या सही अंकन किया गया था। जो जमाबंदी सम्वत् 2024–2027 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। लेकिन बाद में आगे की रोटेशन जमाबंदी सम्वत् 2028–2031 में कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटि से उक्त भूमि में प्रार्थी की माता के पिता काल्या की बजाय बदाम बेवा/पत्नि श्रीकिशना इन्द्राज कर दिया गया। जबकि आगे बनने वाली रोटेशन जमाबंदी में भी पूर्व जमाबंदी के अमल अनुसार ही प्रार्थी की माता के पिता बदाम पुत्री काल्या सही नाम दर्ज करना चाहिए था। प्रार्थी की माता का अन्य खाता ग्राम खरोई में खाता संख्या 269 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है0 खाता संख्या 270 कुल किता 2 रकबा 0.35 है0 है। जिसमें प्रार्थी की माता के पिता का सही नाम काल्या दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थी की माता के पिता का गलत नाम बदाम पत्नि श्रीकिशना के इन्द्राज की जानकारी संबंधित पटवारी हल्का से हुई इस कारण उक्त भूमि खाता संख्या 271 व 362 में प्रार्थी की माता के पिता का नाम काल्या के बजाय श्रीकिशना अंकित कर दिया को प्रार्थी की माता के पिता का सही नाम बदाम पुत्री काल्या इन्द्राज करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

बाबत् है। जिसमें प्रार्थी की माता के पिता का नाम श्रीकिशना के बजाय काल्या शुद्धिकरण/दुरूस्तीकरण हेतु है। उक्त भूमि के दर्ज सहखातेदारान से प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस कारण से इनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से इस प्रार्थना पत्र का स्वर्णाधिकार श्रीमान् के न्यायालय को प्राप्त है।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 271 ख0नं0 193 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 89 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 90 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 है0 एवं खाता संख्या 362 ख0नं0 177 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 179 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 180 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 183 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 184 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 186 रकबा 0. 11 है0, ख0नं0 187 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 188 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 189 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 190 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 191 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 77 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 78 रकबा 0.65 है0, ख0नं0 79 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 80 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 81 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 82 रकबा 0. 05 है0, ख0नं0 83 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 84 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 87 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 88 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 91 रकबा 0.23 कुल किता 22 कुल रकबा 5.79 है0 वाके ग्राम खरोई पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज. में स्थित में प्रार्थी की माता बदाम पत्नि श्रीकिशना के बजाय बदाम पुत्री काल्या इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती/शुद्धिकरण किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई। तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार हैः–चरण संख्या 1 रिकार्ड से स्वीकार है। चरण संख्या 2 रिकार्ड से स्वीकार है। अन्य विवरण अस्वीकार है।

चरण संख्या 3 अस्वीकार है। वादी स्वयं सिद्ध करें।चरण संख्या 4 अस्वीकार है। वादी स्वयं सिद्ध करें। चरण संख्या 5 ग्राम खरोई में 2071–2074 के खाता नं0 270, 269 जमाबंदी संलग्न रिकार्ड है। में प्रार्थी के माता के पिता का नाम काल्या दर्ज है। जबकि ग्राम खरोई के खाता सं0 271, 362 में दर्ज भूमियों में प्रार्थी की माता का नाम श्रीकिशन दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से प्रार्थी की माँ का नाम बदाम पुत्री काल्या शुद्ध नाम है। जवाब सादर पेश है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो का ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार बहस में अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2024 कॉलम संख्या 5 में खातेदारो के नाम में अन्य खातेदारों के नाम के साथ काल्या दर्ज रिकॉर्ड है। कॉलम संख्या 16 काल्या के फोत के बाद उसकी लड़की बदाम के नाम नामान्तकरण खोला गया, अंकित है। नामान्तकरण पंजिका खरोई में नामान्तकरण संख्या 159 में भी खातेदारों के नाम में काल्या के नाम का अंकन है और कॉलम संख्या 11 में बदाम पुत्री काल्या का अंकन है साथ ही कॉलम संख्या 16 में काल्या मर गया, उसकी पुत्री बदाम है, लड़का नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2028 में कॉलम संख्या 5 में बदाम पुत्री काल्या का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2022–25 व 2036–39 ग्राम खरोई में बदाम बेवा श्री किशना का अंकन किया हुआ है जो बदस्तुर आगे की राजस्व रिकॉर्ड में भी जारी रहा। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 271 व 362 में बदाम पत्नी श्री किशन का अंकन है जबकि अन्य जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 269 व 270 में बदाम पुत्री काल्या का अंकन है। कार्यालय ग्राम पंचायत रोणिजा

के प्रमाण पत्र दिनांक 21.06.2019, आधार कार्ड, बदाम की मृत्यु के प्रमाण पत्र के अनुसार बदाम पत्नी कजोड़ गुर्जर का अंकन है। भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल से साबिक व हाल खसरा नम्बरो का मिलान है। उक्त दस्तावेजो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बदाम, काल्या की जायज वारिसान पुत्री थी व कजोड़ गुर्जर की पत्नी थी। रोटेशन जमाबन्दी सम्वत 2022–25 बनाते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा त्रुटिवश बदाम बेवा श्रीकिशना का अंकन कर दिया जो गलत है, जिसको शुद्व किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूनी को जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 271 कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 है0, खाता संख्या 362 कुल किता 22 कुल रकबा 5.79 है0 में दर्ज बदाम पत्नी श्रीकिशना के स्थान पर बदाम पुत्री काल्या दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली